महात्मा ज्योतिबा फुले रूहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली
MAHATMA JYOTIBA PHULE ROHILKHAND UNIVERSITY,

पत्रांक : रू.वि. / सम्ब. / 2021 / 8426-29

दिनांक: 21.08.2021

सेवा में,

प्रबन्धक / सचिव
सन्त कबीर दास डिग्री कालेज,
चन्दोखा बरेली।

विषयः सन्त कबीर दास डिग्री कालेज, चन्दोखा बरेली, को स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत **स्नातक स्तर पर विज्ञान संकायान्तर्गत बी०एस–सी० (बायो एवं मैथ ग्रुप) तथा कला संकायान्तर्गत बी०ए० (हिन्दी, अंग्रेजी, समाजशास्त्र, राजनीतिशास्त्र, शिक्षाशास्त्र, गृहविज्ञान व इतिहास)** पाठ्यक्रम / विषयों में सम्बद्धता की अनुमति के संबंध में।

महोदय,

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम (द्वितीय संशोधन) अधिनियम 2014 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 14 सन् 2014) द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 37 (2) के परन्तुक के अधीन राज्य सरकार की सम्बद्धता की पूर्वानुमति दिये जाने के उपबन्ध को समाप्त कर दिया गया है तथा सम्बद्धता का अधिकार विश्वविद्यालयको प्राप्त हो गया है। मूल अधिनियम की धारा 37 में विहित प्राविधानों के आलोक में तथा शासनादेश सं. सम्ब–1145 / सत्तर–2–2014–16(258) / 2013 दिनांक 01.08.2014 के अनुपालन में पूर्व संचालित महाविद्यालयों में नवीन पाठ्यक्रम तथा नवीन महाविद्यालयों के सम्बद्धता प्रस्तावों पर विचार करने हेतु सम्बद्धता समिति की बैठक दिनांक 21.08.2021 को आहूत की गयी। सम्बद्धता समिति द्वारा की गयी संस्तुति का कार्यपरिषद से अनुमोदन की प्रत्याशा में संस्था सन्त कबीर दास डिग्री कालेज, चन्दोखा, बरेली, को स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत **स्नातक स्तर पर विज्ञान संकायान्तर्गत बी०एस–सी० (बायो एवं मैथ ग्रुप) तथा कला संकायान्तर्गत बी०ए० (हिन्दी, अंग्रेजी, समाजशास्त्र, राजनीतिशास्त्र, शिक्षाशास्त्र, गृहविज्ञान व इतिहास) पाठ्यक्रम / विषयों में सत्र 2021–22 से स्थायी सम्बद्धता** की अनुमति निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है। उक्त कमियों / शर्तो की पूर्ति नहीं होने की दशा में सम्बद्धता स्वतः निरस्त मानी जायेगी।

01. महाविद्यालय द्वारा उ०प्र० राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश 2003 द्वारा मूल अधिनियम 1973 की धारा 37(2) में प्राविधानित परन्तुक के अनुसार शिक्षण सत्र प्रारम्भ होने से पूर्व सभी निर्धारित मानकों को पूर्ण कर लिया जायेगा अन्यथा कि स्थिति में छात्रों का प्रवेश स्वतः प्रतिबन्धित रहेगा। मानकानुसार शिक्षकों के अनुमोदन / नियुक्ति के संबंध में निर्गत शासनादेश सं० 522 / सत्तर–2–2013–2(650) / 2012 दिनांक 30 अप्रैल, 2013 का अनुपालन महाविद्यालय शैक्षिक सत्र प्रारम्भ होने के साथ ही सुनिश्चित किया जायेगा।
02. यदि महाविद्यालय द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली / अधिनियम में वर्णित प्रावधानों / उपबन्धों तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 के प्रावधानों के अन्तर्गत महाविद्यालय को प्रदान की गई सम्बद्धता वापस लिये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।
03. संस्थान / महाविद्यालय सशर्त सम्बद्धता / सम्बद्धता आदेश में उल्लिखित कमियों प्राचार्य / प्रवक्ताओं की नियुक्ति / अनुमोदन तथा प्रबन्ध समिति का चयन कर अतिशीघ्र विश्वविद्यालय से अनुमोदित करा लिया जाये, जिससे नवीन सत्र की कक्षायें अविलम्ब संचालित हो सकें। संस्थान / महाविद्यालय विश्वविद्यालय के कुलसचिव को इस आशय का प्रमाणपत्र प्रतिवर्ष प्रेषित करेगा कि वह सम्बद्धता की शर्तें पूरी कर रहा है।
04. महाविद्यालय को सम्बद्धता प्रबन्ध तंत्र द्वारा प्रस्तुत प्रमाणित अभिलेखों के आधार पर प्रदान की जा रही है। यदि किसी स्तर पर पाया जाता है कि संबंधित अभिलेख / सूचना कूटरचित अथवा असत्य थी एवं ऐसा कोई तथ्य छिपाया गया हो जिससे कि महाविद्यालय को सम्बद्धता नहीं दी जा सकती थी तो प्रदत्त सम्बद्धता निरस्त करने की कार्यवाही की जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व महाविद्यालय प्रबन्धतंत्र का होगा।
05. संस्था का उपयोग शिक्षणकार्य के अतिरिक्त अन्य कार्यों में नहीं किया जायेगा एवं संस्था परिसर को रैगिंग से मुक्त रखेगी।
06. सभी महाविद्यालयों में दिव्यांगजनों की सुविधा हेतु स्लैप का निर्माण कराया जाना आवश्यक होगा।
07. महाविद्यालय को प्रत्येक वर्ष AISHE का DCF-II का फार्म अपलोड करना अनिवार्य होगा।
08. उत्तर प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा अनुभाग–1 के पत्र संख्या 332 / सत्तर–3–2018 दिनांक 26 फरवरी, 2018 के अनुसार महाविद्यालय भवन का निर्माण भूकम्प रोधी होना चाहिए।

भवदीय,

कुलसचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

01. वित्त अधिकारी, एम०जे०पी०रू०वि०वि०, बरेली।
02. परीक्षा नियंत्रक को अग्रिम कार्यवाही हेतु
03. क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, बरेली।
04. निजी सचिव, कुलपति ।
05. प्रभारी, केन्द्रीय कम्प्यूटर सेन्टर / प्रभारी, विश्वविद्यालय बेवसाइट।

कुलसचिव

President
S.R.Y.I. Educational Development Society
382, Gangapur, Bareilly

(85)

महात्मा ज्योतिबा फुले रूहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली

MAHATMA JYOTIBA PHULE ROHILKHAND UNIVERSITY, BAREILLY

पत्रांक : रू.वि./सम्ब./2018/23226-36 दिनांकः 09.05.2018

सेवा में,

प्रबन्धक/सचिव
सन्त कबीर दास डिग्री कालेज,
बरेली।

विषयः **सन्त कबीर दास डिग्री कालेज,बरेली को स्नातक स्तर पर विज्ञान संकायान्तर्गत बी0एस–सी0(कृषि) पाठ्यक्रमों/विषयों में स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत सम्बद्धता की अनुमति के संबंध में।**

महोदय,

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम (द्वितीय संशोधन) अधिनियम 2014 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 14 सन् 2014) द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 37 (2) के परन्तुक के अधीन राज्य सरकार की सम्बद्धता की पूर्वानुमति दिये जाने के उपबन्ध को समाप्त कर दिया गया है तथा सम्बद्धता का अधिकार विश्वविद्यालयको प्राप्त हो गया है। मूल अधिनियम की धारा 37 में विहित प्राविधानों के आलोक में तथा शासनादेश सं. सम्ब–1145/सत्तर–2–2014–16(258) /2013 दिनांक 01.08.2014 के अनुपालन में पूर्व संचालित महाविद्यालयों में नवीन पाठ्यकम तथा नवीन महाविद्यालयों के सम्बद्धता प्रस्तावों पर विचार करने हेतु सम्बद्धता समिति की बैठक दिनांक 09.05.2018 को आहूत की गयी। सम्बद्धता समिति द्वारा की गयी संस्तुति का कार्यपरिषद से अनुमोदन की प्रत्याशा में संस्था **सन्त कबीर दास डिग्री कालेज,बरेली को स्नातक स्तर पर विज्ञान संकायान्तर्गत बी0एस–सी0(कृषि) पाठ्यक्रमों/विषयों में दो सेक्शन (प्रत्येक सेक्शन मे 60–60सीट)** स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत नवीन सम्बद्वता प्रबन्ध समिति तथा प्रवक्ताओं का अनुमोदन वांछित रहते दिनांक 01.07.2018 से चार वर्ष हेतु सम्बद्वता की अनुमति निम्नलिखित शर्तो के साथ प्रदान की जाती है। कमियों/शर्तो की पूर्ति नहीं होने की दशा में सम्बद्धता स्वतः निरस्त मानी जायेगी।

01. महाविद्यालय द्वारा उ0प्र0 राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश 2003 द्वारा मूल अधिनियम 1973 की धारा 37(2) में प्राविधानित परन्तुक के अनुसार शिक्षण सत्र प्रारम्भ होने से पूर्व सभी निर्धारित मानकों को पूर्ण कर लिया जाय अन्यथा कि स्थिति में छात्रों का प्रवेश स्वतः प्रतिबन्धित रहेगा। मानकानुसार शिक्षकों के अनुमोदन/नियुक्ति के संबंध में निर्गत शासनादेश सं0 522/सत्तर–2–2013–2(650)/2012 दिनांक 30 अप्रैल, 2013 का अनुपालन महाविद्यालय शैक्षिक सत्र प्रारम्भ होने के साथ ही सुनिश्चित किया जायेगा।

02. यदि महाविद्यालय द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली/अधिनियम में वर्णित प्रावधानों/उपबन्धों तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तो एवं मानकों की पूर्णता तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 के प्रावधानों के अन्तर्गत महाविद्यालय को प्रदान की गई सम्बद्धता वापस लिये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी

03. संस्थान/महाविद्यालय सशर्त सम्बद्धता/समबद्धता आदेश में उल्लिखित कमियों/शर्तो प्राचार्य/प्रवक्ताओं की नियुक्ति/अनुमोदन तथा प्रबन्ध समिति का चयन कर दिनांक 30.06.2018 तक विश्वविद्यालय से अनुमोदित करा लिया जाये एवं विश्वविद्यालय के कुलसचिव को इस आशय का प्रमाणपत्र प्रतिवर्ष प्रेषित करेगा कि संस्थान/महाविद्यालय सम्बद्धता की शर्तें पूरी कर रहा है।

04. महाविद्यालय को सम्बद्धता प्रबन्ध तंत्र द्वारा प्रस्तुत प्रमाणित अभिलेखों के आधार पर प्रदान की जा रही है। यदि किसी स्तर पर पाया जाता है कि संबंधित अभिलेख/सूचना कूटरचित अथवा असत्य थी एवं ऐसा कोई तथ्य छिपाया गया हो जिससे कि महाविद्यालय को सम्बद्धता नहीं दी जा सकती थी तो प्रदत्त सम्बद्धता निरस्त करने की कार्यवाही की जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व महाविद्यालय प्रबन्धतंत्र का होगा।

05. कक्षा संचालन से पूर्व कुलपति महोदय द्वारा नामित सदस्य के माध्यम से मूलभूत आवश्यकताओं के परीक्षण हेतु स्थलीय निरीक्षण किया जायेगा।

06. संस्था का उपयोग शिक्षणकार्य के अतिरिक्त अन्य कार्यों में नहीं किया जायेगा एवं संस्था परिसर को रैगिंग से मुक्त रखेगी।

President
S.R.Y.I. Educational Development Society
382, Gangapur, Bareilly

07. समस्त महाविद्यालयों को 100 रूपयें के शपथ पत्र पर महाविद्यालय में संचालित समस्त पाठ्यकमों व व्याख्यान कक्षों व प्रयोगशाला का विवरण प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। जिन महाविद्यालयों में स्नातकोत्तर स्तर पर प्रयोगात्मक विषयों में सम्बद्धता प्रदान की गयी है, वहां इस आशय का शपथ पत्र वांछित है कि स्नातक/स्नातकोत्तर विषयों में पृथक–पृथक प्रयोगशाला है, जो पूर्ण रूप से निर्मित व सुसज्जित हैं।

08. विधि पाठ्यक्रम में बी.सी.आई. से अनापत्ति उपरान्त विश्वविद्यालय से अनुमति के बाद ही छात्रों को प्रवेश दिया जाये।

09. विधि पाठ्यक्रमों मे बार काउंसिल ऑफ इण्डिया द्वारा निर्धारित तिथि के दृष्टिगत कार्य–परिषद के अनुमोदन की प्रत्याशा में सम्बद्धता पत्र निर्गत किया जाये एवं आगामी कार्य परिषद की बैठक में माननीय सदस्यों को अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया जाये।

10. सभी महाविद्यालयों में दिव्यांगजनों की सुविधा हेतु स्लैप का निर्माण कराया जाना आवश्यक होगा।

11. महाविद्यालय को प्रत्येक वर्ष AISHE का DCF-II का फार्म अपलोड करना अनिवार्य होगा।

12. उच्च शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश संख्या 332/सत्तर–3–2018 दिनांक 26 फरवरी 2018 के अनुसार महाविद्यालय भवन तथा अन्य अधिसंत्यंताओं का निर्माण भूकम्परोधी किया जाना सुनिश्चित करेगा।

भवदीय

(अशोक कुमार अरविन्द)
कुलसचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

01. प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
02. निदेशक, उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
03. वित्त अधिकारी, एम0जे0पी0रू0वि0, बरेली।
04. क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, बरेली।
05. उप–कुलसचिव सम्बद्धता।
06. निजी सचिव, कुलपति ।
07. अपर सचिव, उच्च शिक्षा परिषद, इन्दिरा भवन, लखनऊ।
08. परीक्षा नियंत्रक को अग्रिम कार्यवाही हेतु ।
09. श्री रविन्द्र गौतम, प्रोग्रामर को इस आशय से कि सूचना विश्वविद्यालय वेबसाइट पर अपलोड करें।

कुलसचिव

महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली
MAHATMA JYOTIBA PHULE ROHILKHAND UNIVERSITY, BAREILLY
A State University-Govt. of Uttar Pradesh, NAAC A++, Accredited, ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 Certified

दिनांक–27.05.2026

पत्रांक / प्रकरण / सत्र / 2026 / 9399

सेवा में,

प्रबन्धक / प्राचार्य,
संत कबीर कवि दास डिग्री कॉलेज,
चन्दौखा भूत, फरीदपुर, बरेली।

विषय:– संत्तत् वर्षम सत्र डिग्री कॉलेज, चन्दौखा भूत, ब्लॉक भूत, बरेली की स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत स्नातक स्तर पर बी0एण्डसी0 (एसी) पाट्यक्रम की संस्थायी सम्बन्द्वता का आगामी वित्तीय वर्ष के सम्बन्ध में।

महोदय,

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम (द्वितीय संशोधन) अधिनियम 2014 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 14 सन् 2014) द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 37 (2) के प्रदत्त उपर्युत्तत अधिकार एवं प्रावधानों के अनुपालेन एवं माँगों के अनुपालन में संचालित एवं जिला स्तर पर राज्य द्वारा संचालिता / स्थापित कार्यक्रमों में महाविद्यालया को मान्यता / प्रवेश / अनुमोदन देने हेतु अतितित किया गया है। विश्वविद्यालय द्वारा निर्गत निबत्ति संख्या–1145 / सत्र–2–2014–16(258) / 2013 दिनांक 01.08.2014 एवं मानी विश्वविद्यालय के आदेश दिनांक 29.01.2026 के अनुपालन में संस्था द्वारा किये गये आयेदन, अनुद्रवेशक प्रयेश / छात्र संख्या एवं आवश्यकताओं के परीक्षण तथा विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित मापदण्ड के आधार पर उत्तत महाविद्यालय को बी0एण्डसी0 (एसी) पाट्यक्रम में अस्थायी सम्बन्दता सत्र 2025–26 से 2026–27 तक (एक वर्षव) हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है। कृपया / शर्ती की पूर्ति एवं होने की दशा में सम्बन्द्धता स्वतः निरस्त मानी जाएगी।

01. महाविद्यालय द्वारा उपलब्ध राज्य विश्वविद्यालय विधिवत् अधिनियम 2003 द्वारा मूल अधिनियम 1973 की धारा 37(2) में प्रदत्तानित प्रावधानों के अनुसार शिक्षण सत्र प्रारम्भ होने से पूर्व सभी निर्धारित मानकों को पूर्ण कर लिया जाना अनिवार्य है तथा उसकी प्रति राज्य विश्वविद्यालय / नियामक के उद्मग्ग / निदेशक के अनुपोलन हेतु अनिवार्य रूप से प्रेषित करना होगा एवं प्रति निर्धारित शुल्क में अमत 2013 का अनुपालन महाविद्यालय शैक्षिक सत्र प्रारम्भ होने के साथ ही सुनिश्वित किया जायेगा।
02. यदि महाविद्यालय द्वारा विश्वविद्यालय की परिसरों / अधनिस्थ में वर्णित प्रावधानों / सरकारी तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित मानों एवं मानकों की पूर्णता तथा शैक्षिक, वित्तीय तथा अन्य सेवाओं / कर्मचारियों की नियुत्ति आदि की स्थिति में कोई भी कमी पायी जाती है, तो इस मामेले में विश्वविधालय को सूचना दी गई मानक तथा आवश्यकताओं को पूर्ण करनहा / दुरुस्त करना होगा तथा आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जायेगी।
03. संस्था / महाविद्यालय स्वयं सहायतावीं / सम्बद्धता आदेश के उल्लंघन की दशा में संबंधित विभाग / एवा संस्था को निगित / अनुमोदन तथा शुल्क आदेश, की स्थिति में बाधित अभिलेख / दस्तावेज आदि विश्वविद्यालय के अनुमोदन के बिना जारी, किसी भी प्रकार के संविदा / प्रशासनिक अर्युरेला / महाविद्यालय विश्वविद्यालय के कुलाधिपति की इस आशय का प्रमाणपत्र प्रतिडित किया जायेगा कि यह सम्बन्द्वता को हर्यी पूर्ण कर रहा है।
04. महाविद्यालय की सम्बन्द्वता प्रबन्धन स्वयं द्वारा प्रस्तुत प्रमाणिक अभिलेखों के आधार पर प्रदान की जा रही है। यदि किसी स्तर पर पाया जाता है कि सम्बन्द्वता अभिलेख / सूचना / दस्तावेजों आधवा अयवा देपशिथ मानक के विश्द्ध पाया गया तो रिसमे के महाविद्यालय एनमं सम्बद्धता के दौरान संस्थान की कोई सूचना / दस्तावेज अधुरी / गलत / अधुरी पाई जाती पर्ती जाती है, तो विश्वविद्यालय को तत्काक सूचित किया जायेगा।
05. संस्था का उपथोग विश्वविद्यालय के अधिनियम अन्य कार्यों में नहीं किया जायेगा एवं संस्था परिसर को संम्क्षत संस्थश में रखा जायेगा।
06. सभी महाविधालायों में दिव्यांगजनों की सुविधा हेतु सदेव का निर्माण कराया जाना अनिवार्य होगा।
07. महाविद्यालय को प्रत्येक वर्ष AISHE व DCF-II का फार्म अपलोड करना अनिवार्य होगा।
08. उपर्वुतत निर्दशष / सुचनाओं हेतु शिक्षा अनुज्ञा–1 के पस्वत 332 / सत्र–2–2018 दिनांक 26 फरवरी 2018 के अनुसार महाविद्यालय स्तर का निपंण्य मूल्याशंत सोझधन होगा।

कुल सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

01. जिला अधिकारी।
02. परीक्षा नियंत्रक।
03. क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, बरेली।
04. परीक्षा नियंत्रक को अग्रिम कार्यवाही हेतु।

President
S.R.Y.I. Educational Development Society
382, Gangapur, Bareilly